न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 38 / 2015

दायर दिनांक–19.03.2015

1– मनोहर लाल पुत्र भानीराम जाति जांगिड़ निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

.......वादी

बनाम

1– भानीराम पुत्र तेजाराम (मृतक–नाम हजफ)
2– किशनलाल पुत्र तेजाराम
3– बालूराम पुत्र तेजाराम
4– साबू पुत्री तेजाराम
5– सज्जन कुमार पुत्र मन्नालाल
6– कैलाश पुत्र मन्नालाल
7– सुलोचना पुत्री मन्नालाल
8– मंजू पुत्री मन्नालाल
9– गोरखराम पुत्र हीरालाल
10– बसंतलाल पुत्र हीरालाल
11– प्रहलाद पुत्र चिरंजीलाल
12– बिमला पुत्री चिरंजीलाल
13– सुलोचना पुत्री चिरंजीलाल
14– पुरूषोतम पुत्र मूलचंद
15– कुमां देवी पत्नी मूलचंद
16– महावीर प्रसाद पुत्र गोरधन
17– सीताराम पुत्र गोरधन
18– बसेसर लाल पुत्र गोरधन
19– भागोती पुत्री गोरधन जाति जांगिड़ निवासी झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
20– पवन पुत्र भानीराम
21– ममता पुत्री भानीराम
22– मुन्नी पुत्री भानीराम
23– बुल्या पुत्री भानीराम
24– सजना पुत्री भानीराम समस्त जाति [illegible] जिला झुंझुनू।
25– श्योजीराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी बेरी भो[illegible] जो[illegible] तहसील व जिला सीकर।
26– हरदेवाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट निवासी भोज्याणा जोहड़[illegible] तहसील व जिला सीकर।
27– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार [illegible] झुंझुनू (राज0)।

.......प्रतिवा[illegible]

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी सं0 02 व 03 :– श्री अशोक कुमार जांगिड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–10.01.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र पूर्व में अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 818, 892 रकबा क्रमशः 0.52, 0.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 में प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 0.2354 है0, प्रतिवादी नं0 2 व 3 का हिस्सा 0.0483 है0 तथा प्रतिवादी नं0 4 को हिस्सा 0.09416 है0 तथा प्रतिवादी नं0 9 व 10 को हिस्सा 0.3766 है0 तथा प्रतिवादी नं0 11 लगायत 19 को हिस्सा 0.3766 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से दर्ज चले आ रहे लादूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड़ उप0। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम की गई। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से शहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 04 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–33 प्रदर्श 05 नकल जमाबंदी सम्वत् 2047–2050 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील प्रतिवादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। प्रतिवादीगण की ओर से काउण्टरक्लेम में चाहे गये अनुतोष का वादी की ओर से कोई खडंन नही कर काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है। अतः काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 818, 892 रकबा क्रमशः 0.52, 0.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 में प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 0.2354 है0 का, प्रतिवादी नं0 2 व 3 को हिस्सा 0.0483 है0का, प्रतिवादी नं0 4 को हिस्सा 0.09416 है0 का, प्रतिवादी नं0 9 व 10 को हिस्सा 0.3766 है0, प्रतिवादी नं0 11 लगायत 19 को हिस्सा 0.3766 है0 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज चले आ रहे लादूराम पुत्र चंद्राराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि घोषित [illegible] रिकॉर्ड में [illegible] दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो [illegible]सल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को [illegible] न्यायालय में सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
[illegible]यिक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणा, विभाजन
व दुरूस्ती नक्शा

मुकदमा सं0:–38 / 2015 (मनोहरलाल बनाम भानीराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.01.2025 निर्णय अनुसार प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 818, 892 रकबा क्रमशः 0.52, 0.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 में प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 0.2354 है0 का, प्रतिवादी नं0 2 व 3 को हिस्सा 0.0483 है0का, प्रतिवादी नं0 4 को हिस्सा 0.09416 है0 का, प्रतिवादी नं0 9 व 10 को हिस्सा 0.3766 है0, प्रतिवादी नं0 11 लगायत 19 को हिस्सा 0.3766 है0 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज चले आ रहे लादूराम पुत्र चंद्राराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested